विद्युत पारेषण लाईन मे आने वाले वृक्षो की गणना एवं पातन के संबंध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ओबरा वन प्रभाग के डाला एंव ओबरा रेंज के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद(वर्तमान में उ.प्र. पावर ट्रांन्समिशन कारपोरेशन लि.) को भारत सरकार के पत्र संख्या– 8B/04/1692/98/FC दिनांक– 08.03.1999 एवं इसके क्रम में संयुक्त सचिव उ.प्र. शासन का आदेश संख्या– जी.आई. 322/14–2–99–700(2) 97 दिनांक –01 अक्टूबर 1999 द्वारा 400 के0वी0 लीलो ओबरा विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 19.968 हे. वन भूमि 20 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी। जिसकी लीज अवधि दिनांक–01.10.2019 को समाप्त हो चुकी है। वर्तमान मे उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि. को 400 के0वी0 लीलो ओबरा विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु दी गयी 19.968 हे. (धारा–4 को वन भूमि मानते हुए) वन भूमि धारा 20 की अधिसुचना के अनुसार 19.968 हे0 के बजाय 7.5118 हे0 है। वर्तमान मे उक्त लाइन में प्रभावित होने वाली 7.5118 हे0 वन भूमि को पुनः 37 वर्षो के लीज पर किये जाने की की आवश्यकता है। उपरोक्त विद्युत पारेषण लाईन उक्त वन भूमि पर वर्ष 1999 से निर्मित है तथा वर्तमान में कोई नया निर्माण कार्य नहीं किया जाना है। जिस कारण से उक्त वन भूमि पर वृक्षों की गणना एवं पातन करना आवश्यक नहीं है।

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड गाजीपुर
उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि.

वन भूमि में प्रभावित वृक्षों के संबंध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ओबरा वन प्रभाग के डाला एंव ओबरा रेंज के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद(वर्तमान में उ.प्र. पावर ट्रांन्समिशन कारपोरेशन लि.) को भारत सरकार के पत्र संख्या– 8B/04/1692/98/FC दिनांक– 08.03.1999 एवं इसके क्रम में संयुक्त सचिव उ.प्र. शासन का आदेश संख्या– जी.आई. 322/14–2–99–700(2) 97 दिनांक –01 अक्टूबर 1999 द्वारा 400 के0वी0 लीलो ओबरा विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 19.968 हे. वन भूमि 20 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी। जिसकी लीज अवधि दिनांक–01.10.2019 को समाप्त हो चुकी है। वर्तमान मे उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि. को 400 के0वी0 लीलो ओबरा विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु दी गयी 19.968 हे. (धारा–4 को वन भूमि मानते हुए) वन भूमि धारा 20 की अधिसुचना के अनुसार 19.968 हे0 के बजाय 7.5118 हे0 है। वर्तमान मे उक्त लाइन में प्रभावित होने वाली 7.5118 हे0 वन भूमि को पुनः 37 वर्षो के लीज पर किये जाने की की आवश्यकता है। उपरोक्त विद्युत पारेषण लाईन उक्त वन भूमि पर वर्ष 1999 से निर्मित है तथा वर्तमान में कोई नया निर्माण कार्य नहीं किया जाना है। जिस कारण कोई वन वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है।

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड गाजीपुर
उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि.